राकेश कुमार जैन से पहले जे. मैसर्स िनतेश

एस्टेट्स िलिमटेड-यािचकाकर्ता

बनाम

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सिुवधा पिरषद हिरयाणा एवं अन्य-
उत्तरदाताओं

2018 का सीडब्ल्यूपी नंबर 21088

िसतम्बर 07, 2018

(ए) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम िवकास अिधिनयम, 2006-एस.एस.2(एन) और 8(1) धारा 8(1) के तहत ज्ञापन दाखल करना सूक्ष्म या लघु उद्यमों के िलए एक शर्त नहीं है जो अन्यथा अिधिनयम के दायरे में शािमल होने के तहत इस तरह के िववरण को संतुष्ट करता है। धारा 2(एन) के तहत पिरभाषत आपूि र्तकर्ता - इंदौर िजला सहकारी िवपणन सोसायटी िलिमटेड वी. मेसर्स माइक्रोप्लेक्स (इंिडया), हैदराबाद और मेसर्स रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट िलिमटेड बनाम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैिसलटेशन काउंिसल, पर भरोसा िकया गया।

आयोिजत,मैं िवनम्रतापूर्वक द इंदुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरिटव मार्केटंग सोसाइटी िलिमटेड (सुप्रा) और मेसर्स रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट िलिमटेड (सुप्रा) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट िलिमटेड (सुप्रा) के मामलों में िदए गए तर्क का पालन करूंगा, जो धारा 2 (एन) की व्याख्या करते समय दर्ज िकया गया था। अिधिनयम में यह माना गया है
िक प्रितवादी संख्या 2 द्वारा प्रितवादी संख्या 1 को दायर की गई िशकायत कायम रखने योग्य है। इस प्रकार पहला प्रश्न तदनुसार तय िकया जाता है।

(पैरा 16)

(बी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम िवकास अिधिनयम, 2006—एस.18(3)—अिधिनयम की धारा 18(3) के तहत कार्यवाही हो सकती है, भले ही समझौते में मध्यस्थता खंड हो—वेलस्पन कापोरेशन िलिमटेड बनाम सूक्ष्म और लघु, मध्यम उद्यम सिुवधा के िनष्कर्ष पिरषद, पर भरोसा िकया.

पर आयोिजतअंत में जहां तक सीमा के मुद्दे का संबंध है, उत्तरदाताओं के िवद्वान वकील ने सही ही कहा है िक बड़ी रिाश वर्ष 2017 की है जो यािचका के साथ संलग्न चालान से स्पष्ट है और दूसरी बात यह है िक इस मामले में सीमा का प्रश्न एक िमश्रि त प्रश्न है। कानून और तथ्य िजस पर पिरषद द्वारा िनयुक्त मध्यस्थ द्वारा िनर्णय िलया जा सकता है।

(पैरा 20)

अबीर फुकन, वकील, कंवरदीप िसंह के िलए, वकील,यािचकाकर्ता के िलए.

प्रितवािदयों की ओर से आशीष चोपड़ा, वकील।

राकेश कुमार जैन, जे.

(1) इस यािचका में की गई प्रार्थनाएँ जारी करने के िलए हैं
नोिटस िदनांक 13.3.2018 और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुिवधा पिरषद हिरयाणा/ प्रितवादी संख्या 1 [इसके बाद 'पिरषद' के रूप में संदर्भित] और नोिटस िदनांक 24.7.2018 के आदेश िदनांक 7.6.2018 को रद्द करने के िलए सर्टओरी प्रकृित की
िरट। 2018 पिरषद द्वारा िनयुक्त मध्यस्थ (प्रितवादी संख्या 3) द्वारा जारी िकया गया।

(2) संक्षेप में, यािचकाकर्ता एक िलिमटेड कंपनी है
िरयल एस्टेट का व्यवसाय है जबिक प्रितवादी नंबर 2 गुरुग्राम में स्थित एक िरयल एस्टेट ब्रोकर है। यािचकाकर्ता और प्रितवादी नंबर 2 ने 23.7.2014 को 8 महीने की अविध के िलए "चैनल पार्टनर एग्रीमेंट" नामक एक समझौता िकया, िजसके अनुसार प्रितवादी नंबर 2 पिरयोजनाओं में फ्लैटों की िबक्री की व्यवस्था और बातचीत के िलए ब्रोकरेज का हकदार था। बेंगलुरु में यािचकाकर्ता की. उक्त अनुबंध िदनांक 11.12.2014 को समाप्त कर िदया गया। प्रितवादी नंबर 2 ने िदनांक 3.01.2015 को एक पत्र भेजकर यािचकाकर्ता को दलाली के िलए 12,74,847/- रुपये और हर्जाने के िलए 6,00,00,000/- रुपये का भुगतान करने के िलए कहा। प्रितवादी नंबर 2 ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम िवकास अिधिनयम, 2006 [इसके बाद 'अिधिनयम' के रूप में संदर्भित] की धारा 8 के तहत एक सूक्ष्मउद्यम के रूप में पंजीकरण के िलए 17.3.2016 को आवेदन िकया था और तदनुसार पंजीकृत िकया गया था। प्रितवादी नंबर 2 ने कंपनी अिधिनयम, 1956 की धारा 433(2) और (एफ) के तहत [संक्षेप में 'अिधिनयम'] नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेंगलुरु [संक्षेप में 'एनसीएलटी'] के समक्ष िसतंबर में एक यािचका दायर की। 2017 में यािचकाकर्ता के िखलाफ समापन की मांग की गई, जो लंिबत है। प्रितवादी नंबर 2 ने यािचकाकर्ता-कंपनी के िखलाफ
भारतीय प्रितभूित और िविनमय बोर्ड [SEBI] के साथ 28.12.2017 को पंजीकरण संख्या SEBIP/MH17/0005372/1 के साथ एक दावा भी उठाया, िजसे खािरज कर िदया गया है। प्रितवादी नंबर 2 ने प्रितवादी नंबर 1 के समक्ष अिधिनयम के तहत 2018 के दावा आवेदन नंबर 460 के साथ एक यािचका दायर की, िजसमें यािचकाकर्ता को 13.3.2018 को नोिटस जारी िकया गया था, िजसका जवाब 2.4.2018 को दायर
िकया गया था, लेिकन 06.06.2018 को। प्रितवादी नंबर 1 ने आक्षेपित आदेश पािरत िकया और प्रितवादी नंबर 2 के दावे को सरकार द्वारा अिधसूचित पैनल में शािमल मध्यस्थ प्रितवादी नंबर 3 के पास भेज िदया। यािचकाकर्ता को 7.8.2018 को प्रितवादी संख्या 3 के समक्ष उपस्थित होने के िलए िदनांक 24.7.2018 का नोिटस प्राप्त हुआ।

(3) चुनौती देने के िलए यह यािचका 13.8.2018 को दायर की गई है आक्षेपित नोिटस िदनांक 13.3.2018 और आदेश िदनांक

7.6.2018

प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा जारी/पारित और प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा दिनांक 24.7.2018 को जारी नोटिस,अन्य बातों के साथ,इस आधार पर कि प्रतिवादी नंबर 2 को 17.3.2016 को पंजीकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से एक सूक्ष्म उद्यम के रूप में पंजीकृत किया गया था और इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा इसके पंजीकरण से पहले प्रदान की गई सेवाओं के लिए नहीं उठाया जा सकता है। अधिनियम, प्रतिवादी नंबर 1 समझौते में मध्यस्थता खंड के मद्देनजर अधिनियम की धारा 18(3) के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ने का हकदार नहीं था, दावा अन्यथा समय बाधित है क्योंकि समझौता 11.12 को समाप्त हो गया था। 2014 और 2018 की दावा याचिका संख्या 460 11.01.2018 को दायर की गई थी।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने एक निर्णय का हवाला दिया है के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया**गेट्स फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड**बनाम**उद्योग निदेशक-सह-अध्यक्ष, औद्योगिक सुविधा परिषद और अन्य**[1] और के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिया गया एक निर्णय **मैसर्स फ़रीदाबाद मेटल उद्योग प्रा. लिमिटेड**बनाम**श्री अनुराग दीपक एवं मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.**[2].

(5) मध्यस्थता के बारे में अपने दूसरे निवेदन के समर्थन में समझौते के खंड में, मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया गया है**एमएस। स्टील अथॉरटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य**बनाम**संयुक्त निदेशक के माध्यम से सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषद**[3] और के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिया गया एक और निर्णय**मेसर्स हिंदुस्तान वायर्स लिमिटेड**बनाम **श्री आर.सुरेश एवं अन्य**[4].

(6) यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने स्थापित किया है एनसीएलटी के समक्ष अधिनियम की धारा 433(ई) और (एफ) के तहत दायर याचिका में 11,54,678/- रुपये की स्वीकृत देनदारी का दावा किया गया है, जबकि प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष दावा रुपये की राशि के लिए निर्धारित किया गया है।
.1,32,44,191/- ब्याज सहित।

(7) इसका विरोध करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 2 के विद्वान वकील याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तथ्यों पर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 2 को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 17.3.2016 के माध्यम से एक सूक्ष्म उद्यम के रूप में पंजीकृत किया गया है और इसके पंजीकरण से पहले अर्जित राशि का दावा किया गया है लेकिन उसके अनुसार उनके लिए पंजीकरण केवल एक योग्यता है, कोई योग्यता नहींअनिवार्यतःप्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष आवेदन को बनाए रखने के लिए और

---

[1](2016) 183 पीएलआर 776

[2]2013 (7) बम सीआर 631

[3]एआईआर 2012 बम 178

[4]2013 एससीसी ऑनलाइन बम 547

2012 की िरट यािचका संख्या 35872 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा िदए गए िनर्णय पर भरोसा िकया है िजसका शीर्षक है**इंदुर िजला सहकारी िवपणन सिमित िलिमटेड**बनाम**मैसर्स माइक्रोप्लेक्स (इंिडया), हैदराबाद और अन्य**27.10.2015 को िनर्णय िलया गया और िदल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2017 के WP (C) 5004 में एक िनर्णय िदया गया िजसका शीर्षक था**मैसर्स रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट िलिमटेड**बनाम**सूक्ष्म और लघु उद्यम सुिवधा पिरषद और अन्य**04.07.2018 को िनर्णय िलया गया। उन्होंने इस मामले में इस न्यायालय द्वारा िदए गए िनर्णयों पर भी भरोसा िकया है**वेलस्पन कार्पोरेशन िलिमटेड**बनाम **सूक्ष्म और लघु, मध्यम उद्यम सुिवधा पिरषद, पंजाब और अन्य**[5] और**मुख्य प्रशासिनक अिधकारी, *COFMOW*** बनाम**हिरयाणा की सूक्ष्म और लघु उद्यम सुिवधा पिरषद और अन्य**[6].

(8) जहां तक सीमा का संबंध है, यह प्रस्तुत िकया गया है िक यहां तक िक यािचकाकर्ता भी वह साफ हाथों से अदालत में नहीं आया है क्योंिक उसने प्रितवादी नंबर 2 द्वारा दायर 2015 के सीपी नंबर 248 में एनसीएलटी के समक्ष एक आवेदन दायर िकया था, िजसे इस आधार पर खािरज करने के िलए कहा गया था िक प्रितवादी नंबर 2 कथित के िलए अपनी िशकायत का पीछा कर रहा है। प्रितवादी नंबर 1 के समक्ष अिधिनयम के तहत समान रिश और कंपनी की यािचका और िशकायत में उल्लिखत रिश में अंतर। यह भी प्रस्तुत िकया गया है िक कंपनी की यािचका अक्टूबर और नवंबर, 2014 के चार चालानों के संबंध में वर्ष 2015 में दायर की गई थी, जबिक िशकायत में 5 की रिश भी शािमल है।₹94,05,173/ रुपये की रिश का मई, 2017 माह का चालान। आगे यह प्रस्तुत िकया गया है िक सीमा का प्रश्न इस प्रकार कानून और तथ्य का िमश्रित प्रश्न होगा िजसका िनर्णय मध्यस्थ द्वारा िकया जा सकता है।

(9) मैंने पक्षों के िवद्वान वकील को सुना है और उसका अवलोकन िकया है उनकी सक्षम सहायता से िरकॉर्ड करें।

(10) इससे पहले िक मैं मामले की खूिबयों पर ध्यान दूं, यह होगा अिधिनयम के कुछ प्रासंिगक प्रावधानों जैसे िक धारा 2(एन), 8, 18 और 24 का उल्लेख करना उिचत है जो इस प्रकार हैं: -

> "**2(एन) "आपूिर्तकर्ता"**इसका मतलब एक सूक्ष्म या लघु उद्यम है, िजसने धारा 8 की उप-धारा (1) में िनिर्दष्ट प्रािधकारी के साथ एक ज्ञापन दायर िकया है, और इसमें शािमल हैं -
>
> (i) राष्ट्रीय लघु उद्योग िवकास िनगम, एक कंपनी होने के नाते, कंपनी अिधिनयम के तहत पंजीकृत है,

---

[5]2012(2) पीएलआर 195

[6]2015(2) पीएलआर 692

1956(1956 का 1);

(ii) किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लघु उद्योग विकास निगम, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी है;

(iii) कोई भी कंपनी, सहकारी समिति, ट्रस्ट या निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत या गठित किया गया हो और सूक्ष्म या लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में लगा हुआ हो। उद्यम।"

"8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का ज्ञापन.-

1. कोई भी व्यक्ति जो स्थापित करने का इरादा रखता है,

एक। एक सूक्ष्म या लघु उद्यम, अपने विवेक पर, या

बी। सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगा एक मध्यम उद्यम, अपने विवेक पर; या

सी। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगा एक मध्यम उद्यम, जैसा भी मामला हो, सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम का ज्ञापन दाखिल करेगा। ऐसे प्राधिकार के साथ जो राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (4) या के तहत निर्दिष्ट किया जा सकता है

केंद्रीय

उप-धारा (3) के तहत सरकार: बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के शुरू होने से पहले (ए) स्थापित किया हो। एक लघु उद्योग और अपने विवेक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है; और

(बी) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगा एक उद्योग, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रुपये से अधिक लेकिन दस से अधिक का निवेश नहीं है करोड़ रुपये और, तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एसओ 477 (ई) दिनांक 25 जुलाई, 1991 के अनुसरण में एक सौ अस्सी दिनों के भीतर एक औद्योगिक उद्यमी का ज्ञापन दायर किया जाएगा। इस अधिनियम के प्रारंभ से, फ़ाइल करें

ज्ञापन, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।

2. ज्ञापन का स्वरूप, उसे दाखिल करने की प्रक्रिया और उससे जुड़े अन्य मामले ऐसे होंगे जो इस संबंध में सलाहकार सिमित की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकते हैं।

3. किसी मध्यम उद्यम द्वारा ज्ञापन दायर करने का अधिकार वह होगा जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

4. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगी जिसके साथ एक सूक्ष्म या लघु उद्यम ज्ञापन दाखिल कर सकता है।

5. उप-धारा (3) और (4) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया का पालन करेंगे।"

"18. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा पिरषद का संदर्भ-

1. वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, विवाद का कोई भी पक्ष, धारा 17 के तहत देय किसी भी राशि के संबंध में, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा पिरषद को संदर्भ दे सकता है।

2. उप-धारा (1) के तहत एक संदर्भ प्राप्त होने पर, पिरषद या तो स्वयं मामले में सुलह कराएगी या ऐसी संस्था या केंद्र को संदर्भ देकर वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था या केंद्र की सहायता लेगी। सुलह कराने के लिए और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 65 से 81 के प्रावधान ऐसे विवाद पर लागू होंगे जैसे कि सुलह उस अधिनियम के भाग III के तहत शुरू की गई थी।

3. जहां उप-धारा (2) के तहत शुरू किया गया सुलह सफल नहीं होता है और पार्टियों के बीच किसी भी समझौते के बिना समाप्त हो जाता है, पिरषद या तो स्वयं मध्यस्थता के लिए विवाद उठाएगी या वैकल्पिक
विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी संस्थान या केंद्र को संदर्भित करेगी। ऐसी मध्यस्थता और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान तब विवाद पर लागू होंगे जैसे कि मध्यस्थता एक मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी

उस अिधिनयम की धारा 7 की उपधारा (1) में संदर्भित।

4. िफलहाल लागू िकसी भी अन्य कानून में िकसी भी बात के बावजूद, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुिवधा पिरषद या वैकल्पिक िववाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्र के पास आपूर्तकर्ता के बीच िववाद में इस धारा के तहत मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने का अिधकार क्षेत्र होगा। इसके अिधकार क्षेत्र में स्थित है और खरीदार भारत में कहीं भी स्थित है।

5. इस धारा के तहत िकए गए प्रत्येक संदर्भ का िनर्णय ऐसे संदर्भ की तारीख से नब्बे िदनों की अविध के भीतर िकया जाएगा।

"24. अिधभावी प्रभाव.-

धारा 15 से 23 के प्रावधान तत्समय लागू िकसी भी अन्य कानून में िनिहत असंगत िकसी भी बात के बावजूद प्रभावी होंगे।

(11) जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, िक क्या िशकायत है अिधिनयम की धारा 8 के तहत प्रितवादी नंबर 2 के पंजीकरण से पहले देय रिश के संबंध में प्रितवादी नंबर 2 द्वारा प्रितवादी नंबर 1 के समक्ष दायर िकया गया, इस मामले में यह न्यायालय**गैट्स फाइनेंिशयल िरकंस्ट्रक्शन िलिमटेड (सुप्रा)**उस पर गौर िकया है"िरकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है िक संदर्भ अक्टूबर 2005 से संबंधित है जब एमएसएमईडी अिधिनयम लागू नहीं था, इसिलए एमएसएमईडी अिधिनयम के प्रावधानों की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता का सवाल ही नहीं उठता क्योंिक अिधिनयम 18.07.2006 को लागू हुआ था, इसिलए संदर्भ का उत्तर देने का सवाल नहीं है। उत्पन्न नहीं होता. इसके अलावा एमएसएमईडी अिधिनयम के प्रावधानों को यािचकाकर्ता के उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 के साथ पंजीकरण से पहले की गई सेवाओं के िलए लागू नहीं िकया जा सकता है।के मामले में**मैसर्स फ़रीदाबाद मेटल उद्योग प्रा. िलिमटेड (सुप्रा),**ऐसा माना गया"यह स्पष्ट है िक इन कार्यविहयों के पक्षों के बीच िववाद उक्त अिधिनयम के लागू होने से बहुत पहले उत्पन्न हुआ था। मेरे िवचार में, धारा 18 के तहत िववाद को सूक्ष्म और लघु उद्यम सुिवधा पिरषद को संदर्भित करने का उपाय पार्टियों के बीच मौजूदा मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न िववाद पर लागू नहीं होगा।ऐसा भी माना गया"माना जाता है िक इन पहले चार यािचकाकर्ताओं को पार्टियों के बीच िववाद उत्पन्न होने के बहुत बाद सूक्ष्म लघु उद्यमों के रूप में पंजीकृत िकया गया था। मेरे िवचार में, उक्त प्रावधान िपछले लेनदेन पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होंगे और इस प्रकार उक्त एमएसएमई अिधिनयम के प्रावधानों की इस मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है।

(12) हालाँिक, उत्तरदाताओं द्वारा िजस िनर्णय पर भरोसा िकया गया है

के मामले में**इंदुर िजला सहकारी िवपणन सोसायटी िलिमटेड (सुप्रा),**तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने िनम्निलिखत िटप्पिणयाँ की हैं: -

"26. यह ध्यान रखना प्रासंिगक है िक 2006 का अिधिनयम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लाभ के िलए अिधिनयिमत िकया गया था, लेिकन इसका अध्याय V केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों को िवलंिबत भुगतान से संबंिधत है। इसी प्रकार, आपूिर्तकर्ता को धारा 2(एन) के तहत केवल सूक्ष्म या लघु उद्यमों के संदर्भ में पिरभािषत िकया गया है, न िक मध्यम उद्यम के संदर्भ में। इस संदर्भ में 2006 के अिधिनयम की
धारा 8(1) प्रासंिगक हो जाती है। यह प्रावधान इस प्रकार है:

'8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का ज्ञापन। - (1) कोई भी व्यक्ित

जो स्थािपत करने का इरादा रखता है,

(ए) एक सूक्ष्म या लघु उद्यम, अपने िववेक पर, या

(बी) सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगा एक मध्यम उद्यम, अपने िववेक पर; या

(सी) उद्योग (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1951 (1951 का 65) की पहली अनुसूची में िनिर्दष्ट िकसी भी उद्योग से संबंिधत वस्तुओं के िनर्माण या उत्पादन में लगा एक मध्यम उद्यम, सूक्ष्म, लघु या का ज्ञापन दािखल करेगा। जैसा भी मामला हो, या ऐसे प्रािधकरण के साथ मध्यम उद्यम जो उपधारा (4) के तहत राज्य सरकार या उपधारा (3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा िनिर्दष्ट िकया जा सकता है:

उसे उपलब्ध कराया ....

27. इसिलए यह स्पष्ट है िक एक सूक्ष्म या लघु उद्यम को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा िनिर्दष्ट प्रािधकारी के साथ एक ज्ञापन दािखल करना अिनवार्य नहीं है, जैसा भी मामला हो, और इस संबंध में उसे िववेक िदया गया है। हालाँिक, धारा 2(एन), जहाँ तक यह एक आपूिर्तकर्ता को एक सूक्ष्म या लघु उद्यम के रूप में पिरभािषत करती है, इस योग्यता के साथ पालन िकया जाता है िक उसे धारा 8 की उप-धारा (1) में िनिर्दष्ट प्रािधकारी के साथ एक ज्ञापन दायर करना
चािहए था। हालाँिक धारा 2(एन)(iii) के तहत पिरभाषा के समावेशी भाग में कहा गया है िक कोई भी कंपनी, सहकारी सिमित, ट्रस्ट या िनकाय, चाहे वह िकसी भी नाम से जाना जाता हो, और सूक्ष्म या लघु उद्यमों द्वारा उत्पािदत वस्तुओं को बेचने में लगा हुआ हो और

ऐसे उद्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ प्रदान करना भी आपूि र्तकर्ता के रूप में योग्य होगा। पिरभाषा के इस समावेशी भाग के संदर्भ में, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है िक सूक्ष्म या लघु उद्यम, िजसका सामान बेचा जा रहा है या िजसकी सेवाएँ कंपनी, सहकारी सिमित, ट्रस्ट या िनकाय द्वारा प्रदान की जा रही हैं, को इसके तहत एक ज्ञापन दायर करना चािहए। 2006 के अिधिनयम की धारा 8(1).

28. पिरभाषा की यह व्याख्या करना असंगत होगा िक एक सूक्ष्म या लघु उद्यम को आपूि र्तकर्ता बनने के िलए धारा 8(1) के तहत एक ज्ञापन दािखल करना अिनवार्य होगा, लेिकन कोई भी कंपनी, सहकारी सिमित, ट्रस्ट या िनकाय, जो या तो सामान बेचता है या सूक्ष्म या लघु उद्यम की सेवाएं प्रदान करता है, स्वचािलत रूप से एक आपूि र्तकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा, भले ही ऐसे सूक्ष्म या लघु उद्यम ने स्वयं धारा 8(1) के तहत एक ज्ञापन दायर िकया हो या नहीं! पिरभाषा की समग्रता और अिधिनयम की योजना और आयात को देखते हुए, यह न्यायालय िवद्वान वकील श्री अशोक आनंद कुमार की दलील को स्वीकार करने के िलए इच्छुक है, िक वह वाक्यांश िजसने धारा 2 (एन) में प्रािधकारी के साथ एक ज्ञापन दायर िकया है केवल अर्हता प्राप्त करना और पिरभाषा के दायरे को कम नहीं करता है।

29. इसिलए, 2006 के अिधिनयम की धारा 8(1) के तहत एक ज्ञापन दािखल करना एक सूक्ष्म या लघु उद्यम के िलए एक शर्त नहीं है, जो अन्यथा 2006 के अिधिनयम के तहत इस तरह के िववरण को संतुष्ट करता है, जैसा िक पिरभािषत आपूि र्तकर्ता के दायरे में शािमल िकया जाना है। धारा 2(एन) के तहत. इसिलए इनमें से प्रत्येक मामले में पहली प्रितवादी कंपनी उक्त पिरभाषा के तहत आपूि र्तकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करेगी और पिरषद के समक्ष उनके दावे इस आधार पर अमान्य नहीं होंगे।

30. वर्ष 2011 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य में इन मामलों में पहली प्रितवादी कंपनी के पंजीकरण का 2006 के अिधिनयम को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का प्रभाव नहीं होगा, क्योंिक प्रश्न में आपूि र्त वर्ष 2006 के बाद की गई थी, न िक उससे पहले. जब तक ये कंपिनयां 2006 के अिधिनयम की धारा 2(एन) के तहत आपूि र्तकर्ता थीं और धारा 18(4) के अनुसार पिरषद के अिधकार क्षेत्र में स्िथत थीं, तब तक पिरषद के पास उनके दावों से िनपटने का अिधकार क्षेत्र था। इस संबंध में यह ध्यान रखना प्रासंिगक है िक जो आवश्यक है वह केवल यह है िक वे अिधकार क्षेत्र के भीतर स्िथत हैं

परिषद के न कि उन्हें पंजीकृत होना चाहिए या ऐसे अधिकार क्षेत्र के भीतर उनका पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं है कि इनमें से प्रत्येक मामले में पहली प्रतिवादी कंपनी का प्रशासनिक कार्यालय परिषद के अधिकार क्षेत्र में स्थित था और इसलिए उसने 2006 के अधिनियम की धारा 18(4) की आवश्यकता को पूरा किया।

(13) के मामले में **मेसर्स रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा),** दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं:-

"24. अधिनियम की धारा 2(एन) की जांच से पता चलता है कि यह दो भागों में है। पहला अंग एक आपूर्तिकर्ता को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है एक सूक्ष्म या लघु उद्यम जिसने अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ एक ज्ञापन दायर किया है और दूसरा अंग (i) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को संदर्भित करता है; (ii) किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लघु उद्योग विकास निगम; और (iii) एक कंपनी, सहकारी समिति, ट्रस्ट या एक निकाय जो सूक्ष्म या लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने और ऐसे उद्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है। दोनों अंग "और" शब्द से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर, इसका मतलब यह होगा कि दोनों अंगों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम की धारा 2(एन) को पढ़ने का उपयुक्त तरीका नहीं है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि, माना जाता है कि, न तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम - जो कि भारत सरकार का उद्यम है - और न ही किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लघु उद्योग विकास निगम को धारा 8(1) के तहत निर्दिष्ट ज्ञापन दाखिल करने की आवश्यकता है। अधिनियम का. इस प्रकार, सभी श्रेणियों को समाप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 2(एन) के दो अंगों को पढ़ा जाना आवश्यक है। दूसरा अंग, जो 'आपूर्तिकर्ता' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली तीन श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है, छोटे और मध्यम उद्यमों की श्रेणी के अतिरिक्त है, जिन्होंने अधिनियम की धारा 8(1) के तहत ज्ञापन दायर किया है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 2(एन) के तहत परिभाषित 'आपूर्तिकर्ता' शब्द को चार श्रेणियों में शामिल किया जाना चाहिए: (i) सूक्ष्म याछोटे उद्यम जिन्होंने अधिनियम की धारा 8(1) के तहत ज्ञापन दायर किया है;

(ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम;

(iii) किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लघु उद्योग विकास निगम; और (iv) एक कंपनी सहकारी समिति, ट्रस्ट या एक निकाय जो सूक्ष्म या लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने या ऐसे उद्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है।

26. जैसा कि ऊपर देखा गया है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि जीसीआईएल सूक्ष्म/लघु उद्यम की परिभाषा में आएगा, यहां तक कि भौतिक समय पर भी जब उसने आरआईएल के साथ अनुबंध निष्पादित किया था। जीसीआईएल एक कंपनी है और जीसीआईएल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ स्पष्ट रूप से एक सूक्ष्म/लघु उद्यम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ हैं और इसलिए, जीसीआईएल - एक सूक्ष्म/लघु उद्यम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति में लगी हुई है - जो संस्थाओं की चौथी श्रेणी में आती है। आपूर्तिकर्ता के रूप में शामिल': यानी, एक कंपनी, सहकारी समिति, ट्रस्ट या एक निकाय जो सूक्ष्म या लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित सामान बेचने या ऐसे उद्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है। ऐसी संस्थाओं के लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं हैअधिनियम की धारा 8(1) के तहत ज्ञापन।

(14) दिलचस्प बात यह है कि, के मामले में**गैट्स फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्टर्स लिमिटेड (सुप्रा)**रिट याचिका परिषद के उस आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में रिट की मांग के लिए दायर की गई थी, जिसके द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर विलंबित भुगतान पर ब्याज के संदर्भ को अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त मामले में, संदर्भ अक्टूबर, 2005 का था, याचिकाकर्ता को 28.5.2010 को पंजीकृत किया गया था, संदर्भ के लिए आवेदन 11.7.2011 को स्थानांतरित किया गया था और
16.8.2011 और अधिनियम 18.7.2006 से लागू हुआ। इन तथ्यों पर, निम्न विद्वान न्यायालय ने यह प्रश्न तैयार किया कि क्या अधिनियम के प्रावधान अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए कार्योंपर लागू होंगे और क्या अधिनियम के प्रावधानों का लाभ याचिकाकर्ता को दिया जा सकता है। इसके पंजीकरण से पहले प्रदान की गई सेवाओं के लिए? इस पृष्ठभूमि में, यह टिप्पणी की गई कि अधिनियम पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकता है और अधिनियम के प्रावधान पंजीकरण से पहले प्रदान की गई सेवाओं के लिए लागू नहीं हो सकते हैं।

(15) के मामले में**मैसर्स फ़रीदाबाद मेटल उद्योग प्रा. लिमिटेड (सुप्रा)**, याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 14 [संक्षेप में '1996 का अधिनियम'] के तहत दायर की गई थी, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि 1996 के अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में मध्यस्थ का जनादेश समाप्त हो गया है और याचिकाकर्ता इसका हकदार है। अधिनियम के तहत गठित परिषद से संपर्क करें क्योंकि उक्त परिषद विवाद पर निर्णय लेने का हकदार है। उक्त मामले में भी लेन-देन बहुत अधक था

उस िदन से पहले िजस िदन अिधिनयम स्वयं लागू हुआ था और अिधिनयम के प्रावधानों के तहत यािचकाकर्ता का पंजीकरण उक्त लेनदेन के काफी बाद हुआ था। इस पृष्ठभूम में, यह माना गया िक चूंिक पार्टियों के बीच िववाद अिधिनयम के अिधिनयमन से पहले का है, इसिलए, िववाद को पिरषद को संदर्भित करने के िलए अिधिनयम की धारा 18 के तहत उपाय मौजूदा िववाद से उत्पन्न होने वाले िववाद पर लागू नहीं होगा। पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौता। हालाँिक, के मामले में**इंदुर िजला सहकारी िवपणन सोसायटी िलिमटेड (सुप्रा),**इसमें यािचकाकर्ता का रुख यह
था िक प्रितवादी-कंपनी अिधिनयम के प्रावधानों के संदर्भ में "आपूर्तकर्ता" की पिरभाषा में नहीं आएगी क्योंिक यह उस समय पंजीकृत हुई थी जब आपूर्ति की गई थी जबिक पंजीकरण लागू करने के िलए अिनवार्य था। अिधिनयम के प्रावधान. उक्त मामले में, न्यायालय ने अिधिनयम की धारा 2(एन) की व्याख्या की जो "आपूर्तकर्ता" को पिरभाषित करती है और चर्चा उक्त मामले के पैरा संख्या 27 से 30 (पहले से ही ऊपर पुन: प्रस्तुत) में िनिहत है, िजसमें कहा गया है िक धारा 2(एन) अिधिनयम केवल योग्य है और पिरभाषा के दायरे को कम नहीं करता है। के मामले में
िदल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है**मेसर्स रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट िलिमटेड (सुप्रा)**अिधिनयम की धारा 2(एन) को पिरभाषित करते हुए और पैरा संख्या 24 (पहले से ही ऊपर पुन: प्रस्तुत) में इसकी चर्चा की गई है।

(16) मैं िवनम्रतापूर्वक के मामलों में िदए गए तर्क को मानूंगा **इंदुर िजला सहकारी िवपणन सोसायटी िलिमटेड (सुप्रा)**और**मेसर्स रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट िलिमटेड (सुप्रा)**, अिधिनयम की धारा 2(एन) की व्याख्या करते हुए दर्ज िकया गया िक प्रितवादी संख्या 2 द्वारा प्रितवादी संख्या 1 को दायर की गई िशकायत कायम रखने योग्य है। इस प्रकार पहला प्रश्न तदनुसार तय िकया जाता है।

(17) जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है िजसके तहत कार्यवाही चल रही है अिधिनयम की धारा 18(3) पार्टियों के बीच समझौते में मध्यस्थता खंड के मद्देनजर आगे नहीं बढ़ सकती है, यािचकाकर्ता के िवद्वान वकील ने मामले में िदए गए िनर्णय पर भरोसा िकया है**एमएस। स्टील अथॉरटी ऑफ इंिडया िलिमटेड और अन्य**(सुप्रा)िजसमें अिधिनयम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ पर िवचार करने के िलए पिरषद के अिधकार क्षेत्र के बारे में सवाल उठाया गया था। उक्त मामले में, आपूर्तकर्ता ने यािचकाकर्ताओं को मध्यस्थता के खंड को लागू करने का नोटस जारी िकया और मध्यस्थता के माध्यम से िववाद को िनपटाने के िलए एक मध्यस्थ
िनयुक्त करने का प्रस्ताव रखा, लेिकन यािचकाकर्ताओं ने िकसी और को मध्यस्थ के रूप में िनयुक्त िकया, िजस पर आपूर्तकर्ता द्वारा िववाद उठाया गया था। या तो मामला उसके द्वारा चुने गए मध्यस्थ के पास जाएगा या पिरषद के समक्ष जाएगा। यािचकाकर्ताओं ने पिरषद के समक्ष िववाद के िनपटान के िकसी अन्य तरीके में प्रवेश करने से इनकार कर िदया क्योंिक उसने पहले ही मध्यस्थ िनयुक्त कर िदया था

लेकिन आपूर्तिकर्ता आगे बढ़ा और परिषद के समक्ष संदर्भ दायर किया। इसमें याचिकाकर्ताओं ने परिषद के समक्ष आपत्ति दायर की और कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के मद्देनजर इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है और चूंकि परिषद ने मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, इसलिए परिषद को इस पर विचार करने से रोकने के लिए रिट याचिका दायर की गई थी। संदर्भ। उक्त मामले में, प्रासंगिक टिप्पणियाँ पैरा संख्या 11 और 14 में की गई थीं, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

> "11। मामले पर विचार करने के बाद, हमने पाया कि अधिनियम की धारा 18(1), किसी भी पक्ष को धारा 17 के तहत देय राशि से संबंधित विवाद की अनुमति देती है यानी खरीदार द्वारा विक्रेता को देय राशि; सुविधा परिषद से संपर्क करने के लिए. विद्वान अतिरिक्त श्रीमती डांगरे ने इसका उचित प्रतिवाद किया है। सरकारी वकील ने कहा कि पार्टियों के बीच कई तरह के विवाद हो सकते हैं जैसे कि माल की स्वीकृति की तारीख या स्वीकृति के अनुमानित दिन के बारे में, आपूर्ति की अनुसूची आदि के बारे में, जिसके कारण खरीदार को उठाए गए बिलों पर कड़ी आपत्ति हो सकती है। आपूर्तिकर्ता द्वारा उस स्थिति में खरीदार को परिषद से संपर्क करने के लिए पात्र माना जाना चाहिए। हमने पाया कि धारा 18(1) स्पष्ट रूप से विवाद के किसी भी पक्ष, अर्थात् खरीदार और आपूर्तिकर्ता को परिषद के पास संदर्भ देने की अनुमति देती है। हालांकि, सवाल यह है; इस तरह का संदर्भ दिए जाने के बाद अगला कदम क्या होगा, जब पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं। हमने पाया कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो पार्टियों के बीच हुए मध्यस्थता समझौते को नकारता हो या अप्रभावी बना देता हो। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 24, जो धारा 18 सहित धारा 15 से 23 के प्रावधानों को अधिभावी प्रभाव देने के लिए अधिनियमित की गई है, जो अधिनियम के तहत विवाद के समाधान के
> लिए मंच प्रदान करती है-किसी मध्यस्थता को नकारने का प्रभाव नहीं डालेगी। समझौता क्योंकि वह धारा केवल ऐसी चीजों को ओवरराइड करती है जो धारा 18 सहित धारा 15 से 23 के साथ असंगत हैं, भले ही उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी शामिल हो। अधिनियम की धारा 18(3) में यह प्रावधान है कि जहां परिषद के समक्ष सुलह सफल नहीं होती है, परिषद स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए ले सकती है या इसे वैकल्पिक विवाद समाधान प्रदान करने वाले किसी संस्थान या केंद्र को संदर्भित कर सकती है और मध्यस्थता के प्रावधान और इस प्रकार सुलह अधिनियम, 1996 मध्यस्थता की धारा 7(1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में विवादों पर मध्यस्थता के रूप में लागू होगा और

सुलह अिधिनयम, 1996। मध्यस्थता और सुलह के िलए यह प्रक्िरया िबल्कुल वही प्रक्िरया है िजसके तहत सभी मध्यस्थता समझौतों से िनपटा जाता है। इस प्रकार, हम पाते हैं िक यह नहीं कहा जा सकता है िक चूंिक धारा 18 मध्यस्थता के एक मंच का प्रावधान करती है, इसिलए पाि्रटयों के बीच िकया गया एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता प्रभावी नहीं रहेगा। एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौते का कोई प्रभाव समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंिक अिधभावी खंड केवल असंगत चीजों को ओवरराइड करता है और धारा 18 के तहत पिरषद द्वारा आयोिजत मध्यस्थता और एक व्यक्ितगत खंड के तहत आयोिजत मध्यस्थता के बीच कोई असंगतता नहीं है क्योंिक दोनों प्रावधान द्वारा शािसत होते हैं। मध्यस्थता अिधिनयम, 1996 के.

14. इन पिरस्िथितयों में, हम मानते हैं िक प्रितवादी नंबर 1 पिरषद पाि्रटयों के बीच िदनांक 23.09.2005 के स्वतंत्र मध्यस्थता समझौते के मद्देनजर अिधिनयम की धारा 18 (3) के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने की हकदार नहीं है। हालाँिक, यािचकाकर्ता और प्रितवादी संख्या 2, सुलह में भाग लेंगे, जो अिधिनयम की धारा 18 (1) और (2) के प्रावधानों के तहत प्रितवादी संख्या 1-पिरषद द्वारा आयोिजत िकया जाएगा। प्रितवादी संख्या 1-पिरषद पक्षों के समक्ष उपस्िथत होने की तारीख से दो सप्ताह की अविध के भीतर सुलह की प्रक्िरया पूरी करेगी। पाि्रटयों को 25.10.2010 को प्रितवादी संख्या 1-पिरषद के समक्ष उपस्िथत होने का िनर्देश िदया जाता है। उपरोक्त शर्तों में िनयम को
िनरपेक्ष बना िदया गया है। मूल्य के िहसाब से कोई आर्डर नहीं।"

(18) यािचकाकर्ता द्वारा िजस अन्य िनर्णय पर भरोसा िकया गया वह था का मामला**मेसर्स िहंदुस्तान वायर्स िलिमटेड (सुप्रा)**िजसमें यािचकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अिधिनयम, 1996 की धारा 14 के तहत यह घोषणा करने के
िलए यािचका दायर की गई थी िक मध्यस्थ का जनादेश समाप्त हो गया है और यािचकाकर्ता अिधिनयम के तहत पिरषद से संपर्क करने का हकदार है। इस मामले में, प्रासंिगक िटप्पिणयाँ िनर्णय के पैरा 42 में की गई हैं, िजन्हें िनम्नानुसार पुन: प्रस्तुत िकया गया है: -

"जहां तक श्री मेहता, िवद्वान वकील द्वारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम िवकास अिधिनयम, 2006 के प्रावधानों और वेलस्पन कॉर्पोरेशन िलिमटेड (सुप्रा) के मामले में पंजाब और हिरयाणा उच्च न्यायालय के फैसले के समर्थन में भरोसा िकया गया है यािचका में कहा गया है िक यािचकाकर्ता ने उक्त अिधिनयम के प्रावधानों के तहत पंजीकरण कराया है

इस प्रकार, संबंिधत पक्षों के बीच िववाद, यिद कोई हो, को उक्त अिधिनयम के प्रावधानों के तहत िनयुक्त पिरषद द्वारा हल िकया जाना आवश्यक है, तो मेसर्स स्टील अथॉिरटी ऑफ इंिडया िलिमटेड के मामले में इस अदालत की िडवीजन बेंच के फैसले का संदर्भ लें। (सुप्रा) उपयोगी होगा. उस मामले में इस अदालत की खंडपीठ ने माना है िक यह नहीं कहा जा सकता है िक क्योंिक धारा 18 जो मध्यस्थता के मंच का प्रावधान करती है, पाि्रटयों के बीच िकया गया एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता प्रभावी नहीं रहेगा। यह माना जाता है िक एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौते के प्रभाव को समाप्त करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंिक अिधभावी खंड केवल असंगत चीजों को ओवरराइड करता है और धारा 18 के तहत पिरषद द्वारा आयोिजत मध्यस्थता और एक व्यक्ितगत खंड के तहत आयोिजत मध्यस्थता के बीच कोई असंगतता नहीं है क्योंिक दोनों शािसत हैं मध्यस्थता अिधिनयम, 1996 के प्रावधान द्वारा। यह माना जाता है िक उस अिधिनयम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पाि्रटयों के बीच िकए गए मध्यस्थता समझौते को अस्वीकार या अप्रभावी बना देता है। मेरे िवचार में, यािचकाकर्ता की ओर से उपस्िथत िवद्वान वकील श्री मेहता द्वारा की गई दलीलों में कोई दम नहीं है िक यािचकाकर्ता ने 2006 के उक्त अिधिनयम के प्रावधानों के तहत खुद को पंजीकृत करने के बाद, वर्तमान कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। पाि्रटयों के बीच िकए गए मध्यस्थता समझौते या उस िववाद को केवल 2006 के उक्त अिधिनयम के प्रावधानों के तहत िनयुक्त पिरषद द्वारा हल िकया जा सकता है। मेरे िवचार में, पाि्रटयों के बीच मौजूदा मध्यस्थता समझौते के तहत कार्यवाही उक्त अिधिनयम के अिधिनयमन से प्रभािवत नहीं होगी। अिधिनयम और पाि्रटयों के बीच मौजूदा समझौते के प्रावधानों द्वारा शािसत होना जारी रहेगा और मध्यस्थता और सुलह अिधिनयम, 1996 के प्रावधानों द्वारा शािसत होगा। मेरे िवचार में, िवद्वान वकील श्री मेहता द्वारा की गई दलीलों में कोई योग्यता नहीं है। यािचकाकर्ता की ओर से पेश हो रहे हैं।"

(19) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के िलए िवद्वान वकील ने कहा है के इस मामले के िनर्णय पर भरोसा िकया**वेलस्पन कार्पोरेशन िलिमटेड (सुप्रा)** िजसमें काउंिसल ने यािचकाकर्ता की इस दलील को खािरज कर िदया था िक समझौते में मध्यस्थता और सुलह अिधिनयम, 1996 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ का प्रावधान है और िववाद का फैसला काउंिसल के समक्ष नहीं िकया जाएगा। न्यायालय ने अिधिनयम की धारा 18 और 24 पर चर्चा की और माना िक पिरषद मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकती है या िनयुक्ित कर सकती है

समझौते में मध्यस्थता खंड के बावजूद भी ऐसा ही है। उक्त िनर्णय में प्रासंिगक चर्चा और िनष्कर्ष पैरा संख्या 5, 6 और 7 में हैं, जो िनम्नानुसार हैं: -

> "5. िवद्वान वकील तर्क देंगे िक अिधिनयम, 2006 की धारा 18 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है िक जहां तक यह 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 23016 (ओ एंड एम) और संबंिधत मामले [6] सुलह का प्रावधान करता है, धारा 65 से 81 के प्रावधान अिधिनयम, 1996 जैसा भी लागू हो, इसे इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए िक अिधिनयम, 1996 की धारा 80 के तहत प्रावधान जो एक सुलहकर्ता को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से रोकता है, उसे भी लागू िकया जाना चाहिए। िवद्वान वकील के अनुसार, धारा 18(2) स्वयं धारा 65 से 81 की पूर्ण प्रयोज्यता की अनुमित देती है और इसिलए, धारा 18(1) में गैर-अप्रत्यिाशत खंड का उपयोग धारा 80 को ग्रहण करने के िलए नहीं िकया जाना चाहिए। मेरे िवचार में, यह धारा 18 का सही वाचन नहीं है। अिधिनयम, 2006 में स्वयं ऐसे प्रावधान शामिल हैं, जो तुरंत अिधिनयम, 1996 के अनुरूप हैं। यह याद रखना चाहिए िक अिधिनयम, 2006 भी संसद का एक अिधिनयम है और यह है एक िवशेष अिधिनयम केवल व्यक्ितयों के एक िवशेष वर्ग अर्थात् सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के िलए और उनकी पारस्पिरक प्रितस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने,
> िवकास करने और बढ़ाने के िलए है। अिधिनयम जहां तक इसमें सुलह और मध्यस्थता के िलए एक िविशष्ट प्रावधान शामिल है, इस मुद्दे पर जीवित है िक यह अिधिनयम, 1996 के कुछ प्रावधानों के साथ टकराव में आ सकता है। अन्य केंद्रीय के तहत प्रदान िकए गए पुनर्प्राप्ित तरीकों से संबंिधत कुछ अन्य संघर्ष भी हो सकते हैं अिधिनयम. नतीजतन, धारा 24 के तहत एक स्पष्ट प्रावधान है, जो अिधिनयम के एक प्रमुख प्रभाव को बताता है। यिद कोई संघर्ष नहीं था या संघर्ष होने की संभावना नहीं थी, तो ऐसा प्रावधान लागू करना भी व्यर्थ होगा। हमें संसद के अिधिनयम के प्रत्येक खंड को पढ़ना चाहिए, एक ज्ञान, िजसे न्यायालय िवधानमंडल द्वारा प्रयोग िकए जाने के रूप में लागू करने के
> िलए बाध्य हैं।
>
> धारा 18(3) में प्रावधान है िक जहां धारा 18(2) के तहत शुरू िकया गया सुलह सफल नहीं होता है और पाि र्टयों के बीच िकसी भी समझौते के
> िबना समाप्त हो जाता है, पिरषद स्वयं मध्यस्थता के िलए िववाद उठाएगी। इसिलए, जब धारा 18(3) के तहत सुलहकर्ता को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का स्पष्ट प्रावधान है, तो यह तर्क देना तर्कसंगत नहीं

होगा िक धारा 18 अभी भी लागू होगी। पुनर्जीवन

धारा 18(3) को लागू करने की मांग वकील द्वारा यह तर्क देकर की गई है िक यह खंड केवल उन मामलों में लागू होगा जहां पाि्रटयों के बीच अपने अनुबंध में मध्यस्थता के िलए कोई समझौता नहीं है। िवद्वान वकील के अनुसार, चूंिक अनुबंध िनि्रदष्ट करता है िक पक्ष अिधिनयम, 1996 के तहत मध्यस्थता की मांग करने के िलए स्वतंत्र होंगे, इसिलए उक्त अनुबंध को प्रभावी होना चाहिए। यिद क़ानून स्पष्ट प्रावधान करके अनुबंधों की िविशष्ट शर्तों की पिवत्रता को नहीं बचाता है िक यह इसके
िवपरीत िकसी भी अनुबंध के अधीन होगा, तो इसे इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए िक कानून को पाि्रटयों की व्यक्ितगत इच्छा पर हावी होना चाहिए।

6. इस मामले में, यिद अिधिनयम, 1996 के तहत पाि्रटयों के बीच मध्यस्थता के िलए कोई अनुबंध हुआ था और सुलहकर्ता ने अपनी सुलह की स्िथित को समाप्त करने का प्रस्ताव िदया था, तो वह खुद को मध्यस्थ के रूप में मानने और मध्यस्थता प्रक्िरया को आगे बढ़ाने के
िलए सक्षम था। धारा 18(3) के तहत िवचार िकया गया तरीका। मैं धारा 18(3) को िवद्वान वकील द्वारा प्रचिारत तरीके से नहीं पढ़ सकता िक धारा 18(3) केवल तभी लागू होगी जब अिधिनयम, 1996 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के िलए पाि्रटयों के बीच कोई अनुबंध नहीं है। इसके िवपरीत, बाद वाला भाग धारा 18(3) में कहा गया है िक अिधिनयम, 1996 के प्रावधान िकसी िववाद पर इस तरह लागू होंगे जैसे
िक मध्यस्थता एक मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी, इसे इस तरह से पढ़ा जाएगा िक यह केवल उस स्िथित पर लागू होता है जहां पिरषद उिचत समझती है। ऐसी मध्यस्थता के िलए वैकल्िपक िववाद समाधान सेवाओं के िलए िकसी संस्थान का संदर्भ लें। धारा 18(3) दो प्रक्िरयाओं का प्रावधान करती है: (i) सुलह की समाप्ित पर, यह या तो
स्वयं मध्यस्थता कर सकता है या (ii) मामले को मध्यस्थता के िलए संदि्रभत कर सकता है जैसे िक पाि्रटयों के बीच कोई मध्यस्थ समझौता हो। मध्यस्थता समझौते के अभाव में भी पिरषद के िलए मध्यस्थता का संदर्भ देना संभव है। यिद पाि्रटयों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता है, तो इसका मतलब केवल यह है िक पिरषद, अपनी शक्ितयों का उपयोग
िकए िबना, शक्ित अभी भी उपलब्ध है। यह केवल यह देख सकता है िक पाि्रटयों के बीच समझौते के संदर्भ में, पाि्रटयां अिधिनयम, 1996 के तहत मध्यस्थता करने के िलए स्वतंत्र होंगी। यह इस धारणा को बाहर नहीं करता है िक जब भी कोई मध्यस्थता खंड होता है, तो पिरषद के पास कोई मध्यस्थता नहीं होती है मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की शक्ित. इस तरह की व्याख्या धारा 18(3) के पहले भाग को

िनरर्थक बना देगी जो इसे मध्यस्थता के िलए आगे बढ़ने की अनुमित देता है। मैं करूँगा,

इसिलए, उस िविशष्ट तर्क को कायम रखें, जो आक्षेिपत आदेश यह कहते हुए देता है:

"यिद अिधिनयम, 2006 की धारा 18 िकसी िववाद के समाधान का एक तरीका प्रदान करती है, िजसमें इस पिरषद को अिधिनयम, 1996 के संदर्भ में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना है, तो यह िकसी भी पक्ष के िलए उक्त अिधकार क्षेत्र को बाहर करने के िलए खुला नहीं होगा। यह पिरषद अिधिनयम, 2006 की धारा 18(3) के तहत केवल एक आपसी समझौता करके िनिहत की गई है। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह समझौता अिधिनयम, 2006 के प्रावधानों को खत्म नहीं कर सकता है।"

7. िवद्वान वकील का कहना है, एक िविशष्ट प्रश्न पर िक यािचकाकर्ता को एक मध्यस्थ के रूप में पिरषद के माध्यम से िनर्णय प्राप्त करने में समस्या क्यों है, तर्क देगा िक पािर्टयों के बीच अनुबंध प्रत्येक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ की िनयुक्ित और िनयुक्ित के प्रावधान पर िवचार करता है। एक अंपायर का, लेिकन वह उपाय खो जाएगा यिद पिरषद को स्वयं एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना पड़ता है जहां उसकी अपनी व्यक्ितगत इच्छा शून्य हो जाती है। वकील ने आगे तर्क िदया िक अिधिनयम, 2006 के अन्य कड़े प्रावधान हैं, जैसे िक धारा 19 के तहत एक आवेदन के िलए एक पुरस्कार के माध्यम से मध्यस्थ द्वारा िनर्धािरत रािश का 75% जमा करना आवश्यक है, जो अिधिनयम की धारा 34 के तहत एक आवेदन है। , 1996 आदेश नहीं देता है। यह अिधिनयम, 2006 और अिधिनयम, 1996 के बीच प्रावधानों में असंगतता को इंिगत करता है लेिकन अिधिनयम, 2006 अभी भी अिधभावी प्रभाव के माध्यम से अपने आवेदन की प्रधानता प्राप्त करता है, िजसे हमने ऊपर बताया था। यिद धारा 18 के तहत की गई मध्यस्थता पािर्टयों के बीच भुगतान का िनर्देश देने वाले पुरस्कार की ओर बढ़ती है, तो अिधिनयम, 1996 की धारा 34 के तहत पुरस्कार को रद्द करने का तरीका नहीं हो सकता है, लेिकन यह अभी भी अिधिनयम की धारा 19 के तहत िनिहत तरीके से ही होना चािहए। , 2006. अिनवार्य रूप से, ऐसा होना ही चािहए और यिद िकसी क़ानून में एक स्पष्ट प्रावधान में एक गैर-अस्िथर खंड और अिधिनयम का अिधभावी प्रभाव शािमल होगा, तो उसी अिधिनयम को पूर्ण भूिमका दी जानी चािहए और अिधिनयम को लागू करना संभव हो जाएगा। , 1996 केवल प्रक्िरयाओं के ऐसे मामलों के िलए िजनका अिधिनयम, 2006 स्वयं प्रावधान नहीं करता है। उदाहरण के िलए, अिधिनयम, 2006 में मध्यस्थता प्रक्िरया आयोिजत करने की कोई प्रक्िरया नहीं है; अिधिनयम, 2006 में मध्यस्थ की िनष्पक्षता को चुनौती देने के प्रावधान नहीं हैं; अिधिनयम, 2006 में अभी भी कोई शािमल नहीं है

उस प्रक्रिया को लागू करने का प्रावधान जहां किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में पुरस्कार प्राप्त किया गया हो। उपरोक्त केवल उदाहरणात्मक हैं, संपूर्ण नहीं। लेकिन मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थ प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित प्रावधानों के संबंध में, मध्यस्थ पुरस्कार की बाध्यकारी प्रकृति और पुरस्कार से संतुष्ट नहीं होने वाले व्यक्ति के निवारण के तरीके को धारा 18 और 19 में निहित अनुभाग के प्रावधानों के अनुरूप होना होगा। अधिनियम, 2006 के. इसलिए, मुझे लगता है कि यदि परिषद ने पाया कि अधिनियम, 2006 उसे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है, तो मुझे उक्त आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलेगी।

(20) उपरोक्त निर्णयों का अध्ययन करने के बाद, पर भरोसा किया गया दोनों पक्षों के मामले में मैं जो तर्क दे रहा हूं उसे अपनाऊंगा **वेलस्पन कार्पोरेशन लिमिटेड (सुप्रा)** याचिकाकर्ता के खिलाफ दूसरा मुद्दा तय करने के लिए।

(21) अंत में जहां तक सीमा के मुद्दे का संबंध है, विद्वान परामर्शदाता उत्तरदाताओं ने सही कहा है कि बड़ी राशि वर्ष 2017 की है जो याचिका के साथ संलग्न चालान से स्पष्ट है और दूसरी बात यह है कि इस मामले में सीमा का प्रश्न कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है जिस पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। परिषद द्वारा नियुक्त किया गया।

(22) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(23) इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मुझे कोई नहीं मिला वर्तमान याचिका में योग्यता है और इसे लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दिया गया है।